राजस्थान सरकार

परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग

क्रमांक : एफ 7 (103)परि/नियम/मु0/2022/14176 जयपुर, दिनांक : 23-6-22

कार्यालय आदेश 12/2022

विषय :– बैटरी चलित वाहनों के पंजीयन के संबंध में दिशा–निर्देश।

केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 2(u) में बैटरी चलित वाहनों को परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार बैटरी चलित वाहन ऐसा वाहन है जो सड़क पर प्रयोग में लिये जाने के अनुकूल हो एवं जो अनन्य रूप से विद्युत मोटर से संचालित हो और जिसे कर्षण (Traction) उर्जा, वाहन में स्थापित कर्षण (Traction) बैटरी द्वारा अनन्य रूप से दी जाती है। परन्तु ऐसा यान जिनका केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 126 में वर्णित जांच एजेन्सी द्वारा परीक्षण करने के उपरान्त निम्न मानकों की पूर्ति करता हो, को मोटर वाहन की श्रेणी से मुक्त रखा गया है–

1. ऐसा यान जिसकी गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा से कम हो।
2. ऐसा यान जिसमें 0.25 किलोवाट से कम की 30 मिनट शक्ति वाली विद्युत मोटर लगी हो।
3. वाहन का भार 60 किलोग्राम (बैटरी के वजन को छोडकर) से अधिक ना हो।
4. यान पर यथोचित ब्रेक लगे हो तथा आगे की ओर एक सफेद एवं पीछे लाल रेट्रोरिफ्लेक्टर लगा हो।

केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 126 में वर्णित केन्द्रीय जांच एजेन्सियों द्वारा उपरोक्त शर्तो की जांच कर सत्यापित करने पर ऐसे वाहन को पंजीयन की आवश्यकता नहीं होती है।

विभाग के संज्ञान में आया है कि कतिपय बैटरी चलित दो पहिया वाहन निर्माताओं/विक्रेताओं द्वारा वाहनों का निर्माण/विक्रय मोटर वाहन की श्रेणी से मुक्त रखे जाने वाले उपरोक्त मानदण्डों को दर्शाकर कर रहें है, ताकि इन्हें पंजीयन के दायरे से बाहर रखा जाये जबकि इन वाहनों की गति, बैटरी क्षमता, विद्युत मोटर क्षमता एवं वाहन का भार वास्तविक रूप में कहीं अधिक होता है। इस प्रकार ऐसे वाहन विक्रेताओं द्वारा न केवल क्रेताओं को गुमराह करते हुये वाहन बेचे जाते है अपितु मोटर वाहन नियमों की भी सरासर अवहेलना की जाती है। यह स्थिति सड़क सुरक्षा की दृष्टि से भी अत्यन्त चिन्तनीय एवं गंभीरतम हो जाती है। ऐसे वाहन निर्माताओं/विक्रेताओं के उक्त कृत्य को मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 182क में अपराध की श्रेणी में रखा गया है तथा अपराध प्रमाणित होने पर वाहन निर्माता के विरूद्व एक वर्ष तक के कारावास अथवा एक अरब रूपये तक का जुर्माना अथवा दोनों से एवं वाहन विक्रेता के विरूद्व एक वर्ष तक के कारावास अथवा एक लाख रूपये तक का जुर्माना अथवा दोनो से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतः इस संबंध में समस्त पंजीयन अधिकारियों एवं प्रवर्तन अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि बैटरी चलित दो पहिया श्रेणी के वाहन विक्रेताओ के द्वारा बेचे जाने वाले वाहनों की पूर्ण जांच की जावे कि ऐसे वाहन वस्तुतः मोटर वाहन की श्रेणी से मुक्त होने योग्य है। यदि इन वाहनों के वास्तविक विवरण यथा गति, बैटरी क्षमता, विद्युत मोटर क्षमता तथा वाहन भार में तथा दस्तावेजों में वर्णित विवरण में कोई अन्तर आता है तो ऐसे वाहन विक्रेताओं के विरूद्व मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 182 क, मोटर यान नियम, 1989 एवं भारतीय दण्ड संहिता की सुसंगत धाराओं में कठोरतम कार्यवाही अमल में लाई जावे।

(कन्हैया लाल स्वामी)
आयुक्त परिवहन एवं
सड़क सुरक्षा विभाग

क्रमांक : एफ 7 (103)परि/नियम/मु0/2022/14177-183 जयपुर, दिनांक : 23-6-22
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय परिवहन मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, परिवहन।
3. निजी सचिव, आयुक्त परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग।
4. समस्त प्रादेशिक/अतिरिक्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी।
5. नोडल अधिकारी को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. समस्त वाहन निर्माता/विक्रेता।
7. रक्षित पत्रावली।

आयुक्त परिवहन एवं
सड़क सुरक्षा विभाग